रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1099] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2011/ज्येष्ठ 17, 1933
No. 1099] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2011/JYAISTHA 17, 1933

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जून, 2011

का.आ.1308(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) संख्या सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(1) मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xiv)श्री पी.पी. श्रीवास्तव, उप औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)" ।

(2) मद (xv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xv) डॉ. वाई के. गुप्ता, फार्माकोलोजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)" ।

(3) मद (xix) (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xix) (ख) श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक एफ, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)" ।

(4) मद (xx) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xx) डॉ. जे .एस. यादव, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टैक्नोलॉजी, हैदराबाद ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)" ।

(5) मद (xxi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xxi) डॉ. छन्दा चौधुरी, निदेशक, हैजार्डस सब्स्टैंसस मैनेजमेंट डिवीजन, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)" ।

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी-1]
पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए ।

(i) सा.का.नि. 1216, तारीख 19 अगस्त, 1971,

(ii) सा.का.नि. 478(अ), तारीख 10 अगस्त, 1976,

(iii) का.आ. 848(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1989,

(iv) का.आ. 528(अ), तारीख 19 जुलाई, 1993,

(v) का.आ. 849(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 1995,

(vi) का.आ. 346(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1997,

(vii) का.आ. 70(अ), तारीख 20 जनवरी, 1998,

(viii) का.आ. 132(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999,

(ix) का.आ. 807(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000,

(x) का.आ. 1095(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2000,

(xi) का.आ. 12(अ), तारीख 5 जनवरी, 2001,

(xii) का.आ. 1167(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2001,

(xiii) का.आ. 1025(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2003,

(xiv) का.आ. 229(अ), तारीख 23 फरवरी, 2004,

(xv) का.आ. 872(अ), तारीख 30 जुलाई, 2004,

(xvi) का.आ. 1433(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004,

(xvii) का.आ. 1080(अ), तारीख 29 जुलाई, 2005,

(xviii) का.आ. 1674(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2007,

(xix) का.आ. 395(अ), तारीख 26 फरवरी, 2008,

(xx) का.आ. 2367(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2008,

(xxi) का.आ. 2912(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2008,

(xxii) का.आ. 2146(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009,

(xxiii) का.आ. 351(अ), तारीख 15 फरवरी, 2010,

(xxiv) का.आ. 683(अ), तारीख 23 मार्च, 2010,

(xxv) का.आ. 2285(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010 और

(xxvi) का.आ. 2941(अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2010,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2011

S. O. 1308(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification,—

(1) for item (xiv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xiv) Shri P. P. Srivastava, Deputy Industrial Adviser, Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi. (For a period of three years from the date of publication of this notification)".

IndiaCode

for item (xv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xv) Dr. Y. K. Gupta, Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(3) for item (xix) (b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xix)(b) Shri Sunil Kumar, Scientist F, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(4) for item (xx) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xx) Dr. J. S. Yadav, Director, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

(5) for item (xxi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"(xxi) Dr. Chhanda Chowdhury, Director, Hazardous Substances Management Division, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-6/2008-PP-I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and subsequently amended *vide* :—

(i) G.S.R. 1216, dated the 19th August, 1971,
(ii) G.S.R. 478(E), dated the 10th August, 1976,
(iii) S.O. 848(E), dated the 25th October, 1989,
(iv) S.O. 528(E), dated the 19th July, 1993,
(v) S.O. 849(E), dated the 20th October, 1995,
(vi) S.O. 346(E), dated the 24th April, 1997,
(vii) S.O. 70(E), dated the 20th January, 1998,
(viii) S.O. 132(E), dated the 24th February, 1999,
(ix) S.O. 807(E), dated the 6th September, 2000,
(x) S.O. 1095(E), dated the 7th December, 2000,
(xi) S.O. 12(E), dated the 5th January, 2001,
(xii) S.O. 1167(E), dated the 23rd November, 2001,
(xiii) S.O. 1025(E), dated the 5th September, 2003,
(xiv) S.O. 229(E), dated the 23rd February, 2004,
(xv) S.O. 872(E), dated the 30th July, 2004,
(xvi) S.O. 1433(E), dated the 31st December, 2004,
(xvii) S.O. 1080(E), dated the 29th July, 2005,
(xviii) S.O. 1674(E), dated the 28th September, 2007,
(xix) S.O. 395(E), dated the 26th February, 2008,
(xx) S.O. 2367(E), dated the 3rd October, 2008,
(xxi) S.O. 2912(E), dated the 17th December, 2008,
(xxii) S.O. 2146(E), dated the 21st August, 2009,
(xxiii) S.O. 351(E), dated the 15th February, 2010,
(xxiv) S.O. 683(E), dated the 23rd March, 2010,
(xxv) S.O. 2285(E), dated the 15th September, 2010 and
(xxvi) S.O. 2941(E), dated the 15th December, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.